क्रम-संख्या–245

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०–डब्लू०/एन०पी०–91/2008–10
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग–4, खण्ड (क)
(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, बुधवार, 8 जुलाई, 2009

आषाढ़ 17, 1931 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विकलांग कल्याण अनुभाग–3

संख्या 507/65–3–2009

लखनऊ, 8 जुलाई, 2009

अधिसूचना

सा०प०नि०-30

डा0 शकुन्तला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय (भिन्नरूपेण योग्य हेतु) अधिनियम, 2009 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2009) की धारा 32 की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार डा० शकुन्तला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय (भिन्नरूपेण योग्य हेतु) की प्रथम परिनियमावली निम्नवत बनाती है।

डा0 शकुन्तला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय (भिन्नरूपेण योग्य हेतु)
प्रथम परिनियमावली, 2009

अध्याय–एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1.01–(1) यह परिनियमावली डा0 शकुन्तला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय (भिन्नरूपेण योग्य हेतु) प्रथम परिनियमावली, 2009 कही जायेगी।

(2) यह तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होगी।

परिभाषाएं

1.02—(1) जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस परिनियमावली में,—

(क) "अधिनियम" का तात्पर्य समय-समय पर यथा संशोधित डा० शकुन्तला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय (भिन्नरूपेण योग्य हेतु) प्रथम परिनियमावली, 2009 से है।

(ख) "किसी कर्मचारी की आयु" का तात्पर्य हाईस्कूल प्रमाण—पत्र या उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त किसी अन्य परीक्षा में यथा उल्लिखित किसी कर्मचारी के जन्म के दिनांक से अपेक्षित दिनांक तक परिगणित अवधि से है।

(ग) "कर्मचारी" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के किसी कर्मचारी से है।

(घ) "धारा" का तात्पर्य अधिनियम की किसी धारा से है।

(2) इस परिनियमावली में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके लिए क्रमशः समनुदेशित हैं।

अध्याय—दो

कुलपति

कुलपति की परिलब्धियां और अन्य सेवा शर्तें

2.01—कुलपति की परिलब्धियाँ और अन्य सेवा शर्तें वहीं होंगी जो राज्य सरकार द्वारा या समय-समय पर राज्य सरकार के अनुमोदनाधीन सामान्य परिषद द्वारा अवधारित की जाय :

परन्तु यदि कुलपति किसी पेंशन वाले पद से सेवानिवृत्ति या अधिवर्षिता के पश्चात् पद धारण करता है तो राशीकरण से पूर्व उसके पेंशन की सकल धनराशि उसके वेतन और भत्तों में से कम कर दी जाएगी :

परन्तु यह और कि यदि वह किसी गैर पेंशन वाले पद से सेवानिवृत्ति या अधिवर्षिता के पश्चात् पद धारण करता है तो उसके वेतन और भत्ते अधिवर्षिता पर उसके द्वारा प्राप्त किये जाने वाले सेवानिवृत्ति सम्बन्धी सुविधाओं के समान होंगे :

परन्तु यह भी कि जहाँ ऐसा कुलपति किसी पेंशन योजना का कोई सदस्य रहा हो वहाँ विश्वविद्यालय ऐसी योजना में आवश्यक अंशदान करेगा।

2.02—कुलपति ऐसी दरों पर यात्रा भत्ता का हकदार होगा जैसी कार्य परिषद द्वारा नियत की जाय।

2.03—कुलपति एक कैलेण्डर वर्ष में 30 दिन की दर से पूर्ण वेतन का हकदार होगा और यह अवकाश उसके अवकाश खाता में प्रत्येक पन्द्रह दिन की दो छमाही किस्तों में प्रत्येक वर्ष जनवरी और जुलाई के प्रथम दिवस को जमा हो जायेगा :

परन्तु यह कि यदि कुलपति किसी छमाही की अवधि में पद धारण करता है या पद छोड़ता है तो सेवा के प्रत्येक पूर्ण माह के लिए ढाई दिन की दर से आनुपातिक रूप से अवकाश जमा होगा।

2.04—कुलपति एक कैलेण्डर वर्ष में बीस दिन की दर पर अर्द्ध वेतन अवकाश का भी हकदार होगा। इस अर्द्धवेतन अवकाश का उपभोग चिकित्सीय आधार पर पूर्ण वेतन पर राशिकृत अवकाश के रूप में किया जा सकेगा जब भी राशिकृत अवकाश का उपभोग किया जाय तो अर्द्ध वेतन अवकाश के दोगुने के बराबर की राशि देय अर्द्ध वेतन अवकाश के सापेक्ष घटा दी जायेगी।

2.05—कुलपति ऐसे आवधिक लाभों और भत्तों का भी हकदार होगा जैसी कार्य परिषद द्वारा राज्य सरकार के अनुमोदन से समय-समय पर नियत की जाये।

2.06—यदि कुलपति बीमार या अन्य किसी कारण से अपने कर्त्तव्यों के सम्पादन में असमर्थ है तो कुलपति के कर्त्तव्यों का निर्वहन ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जायेगा जिसे राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किया जाय।

कुलपति की अन्य शक्तियाँ और कृत्य

2.07—कुलपति—

(क) कार्यपरिषद, विद्यापरिषद, वित्त समिति का पदेन अध्यक्ष होगा और कुलाध्यक्ष की अनुपस्थिति में दीक्षान्त समारोह की अध्यक्षता करेगा।

(ख) विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या किसी निकाय की किसी बैठक में उपस्थित होने और सम्बोधित करने का हकदार होगा परन्तु जब तक वह ऐसे प्राधिकरण या निकाय का सदस्य न हो, वह मतदान का हकदार नहीं होगा।

(ग) विश्वविद्यालय के मामलों पर नियंत्रण रखेगा और विश्वविद्यालय के सभी प्राधिकरणों के निर्णय को भी प्रभावी करायेगा।

(घ) को कार्यपरिषद, विद्यापरिषद और वित्त समिति की बैठक बुलाने या बुलवाने की शक्ति होगी।

2.08—कुलपति ऐसे व्यक्ति, जिसे वह उचित समझे, को शक्तियां प्रत्यायोजित कर सकेगा।

अध्याय—तीन

वित्त अधिकारी

वित्त अधिकारी की सेवा की निबन्धन और शर्तें

3.01—वित्त अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा सेवा के अधिकारियों में से की जायेगी और वित्त अधिकारी की शर्तें और निबन्धन राज्य सरकार की सम्बन्धित सेवा नियमावली के अनुसार शासित होंगे।

वित्त अधिकारी राज्य सरकार के अनुशासनिक नियंत्रण के अधीन होगा

3.02—तथापि कार्य परिषद वित्त अधिकारी के विरुद्ध अनियमितता की रिपोर्ट या कार्यवाही की संस्तुति राज्य सरकार को कर सकेगी।

3.03—वित्त अधिकारी, वित्त समिति का पदेन सचिव होगा परन्तु वह ऐसी समिति का सदस्य नहीं समझा जायेगा।

वित्त अधिकारी की अन्य शक्तियाँ और कृत्य

3.04—कार्यपरिषद के नियंत्रण के अधीन, वित्त अधिकारी ;—

(क) विश्वविद्यालय की सम्पत्ति और विनिवेशों तथा युक्त सम्पत्ति को रखेगा और अनुरक्षण करेंगा;

(ख) यह सुनिश्चित करेगा कि एक वर्ष के लिए आवर्ती और अनावर्ती व्यय कार्य परिषद के द्वारा नियत की गयी सीमाओं से अधिक न हो और समस्त धनराशि उसी प्रयोजन पर व्यय की जाये जिसके लिए वह स्वीकृत या आवंटित की गयी है;

(ग) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखों और बजट को तैयार कराने के लिए और कार्यपरिषद को इसे प्रस्तुत करने का उत्तरदायी होगा;

(घ) नगदी और बैंक बैलेंस की स्थिति तथा विनिवेश की स्थिति पर निरंतर निगरानी रखेगा;

(ङ) राजस्व के संग्रह की प्रगति पर निगरानी रखेगा और संग्रह करने की तरीकों पर परामर्श देगा;

(च) अप्राधिकृत व्यय और अन्य वित्तीय अनियमितताओं को कुलपति की जानकारी में ले आयेगा और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही का सुझाव देगा;

(छ) विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित किसी कार्यालय, केन्द्र, प्रयोगशाला या संस्था से कोई भी सूचना या विवरणी मांगेगा जिन्हें वह अपने कर्तव्यों के सम्पादन के लिए आवश्यक समझे।

3.05—वित्त अधिकारी या विश्वविद्यालय द्वारा इस निमित्त सम्यक रूप से प्राधिकृत किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा विश्वविद्यालय को संदेश किसी धनराशि के लिए गयी प्राप्ति एसी धनराशि के भुगतान की पर्याप्त अदायगी होगी।

अध्याय–चार

कुल सचिव

कुल सचिव की सेवा की निबन्धन और शर्तें

4.01–(1) कुलसचिव की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश विकलांग कल्याण विभाग राजपत्रित अधिकारी सेवा के उपयुक्त ऐसे अधिकारियों में से की जायेगी जो अधिनियम की धारा 30 की उपधारा (1) के अधीन यथा परिभाषित अनुभव और अर्हताएं पूरी करती हों और कुल सचिव की सेवा की शर्तें और निबन्धन समय–समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश विकलांग कल्याण विभाग राजपत्रित अधिकारी सेवा नियमावली, 2002 के अनुसार शासित होगी।

(2) कुलसचिव राज्य सरकार के अनुशासनिक नियंत्रण के अधीन होगा। तथापि कार्य परिषद कुल सचिव के विरुद्ध अनियमितता की रिपोर्ट या कार्यवाही की संस्तुति उपयुक्त जाँच करने के पश्चात् राज्य सरकार को कर सकेगी।

(3) कुलसचिव को,–

कुलसचिव की अन्य शक्तियाँ और कृत्य

4.02–(क) विश्वविद्यालय के अध्यापकों, अधिकारियों से भिन्न विश्वविद्यालय के समस्त कर्मचारियों पर अनुशासनिक नियंत्रण बनाये रखने की शक्ति होगी और उन्हें जाँच लम्बित रहने की अवधि में निलम्बित कर सकेगा, वह उन्हें चेतावनी दे सकेगा या ऐसे किसी कर्मचारी को निन्दा प्रविष्टि या उसकी वेतनवृद्धि रोकने का दण्ड अधिरोपित कर सकेगा। तथापि वह ऐसे कर्मचारी के विरुद्ध जाँच का आदेश देगा और कारण बताओं का अवसर प्रदान करेगा :

परन्तु यह कि कुलसचिव अधिकारी या प्राधिकारी, जिसके अधीन ऐसा कर्मचारी कार्यरत है, को सूचित करेगा।

(ख) विश्वविद्यालय की परीक्षाओं को, विहित रीति के अनुसार व्यवस्था करने और अधीक्षण करने की शक्ति होगी।

(ग) विश्वविद्यालय की ओर से या इसके विरुद्ध वादों या कार्यवाहियों में विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने, मुख्तारनाम पर हस्ताक्षर करने और अभिवचनों को सत्यापित करने या इस प्रयोजन के लिए अपना प्रतिनिधि प्रतिनियुक्त करने की शक्ति होगी।

अध्याय–पाँच

विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारी

संकायों के संकायाध्यक्ष

5.01–किसी संकाय के संकायाध्यक्ष की नियुक्ति कुलपति द्वारा संकाय के विभागों में आचार्यों में से तीन वर्ष की अवधि के लिए की जायेगी और वह पुनर्नियुक्ति के लिए अर्ह होगा :

परन्तु यह कि संकाय के विभागों में यदि कोई आचार्य नहीं है तो संकायाध्यक्ष की नियुक्ति उपाचार्यों में से की जा सकेगी:

परन्तु यह भी कि कोई संकायाध्यक्ष बासठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर इस रूप में पद धारण करने से प्रविरत हो जायेगा :

परन्तु यह और कि यदि किसी समय संकाय में कोई संकायाध्यक्ष न हो तो कुलपति या कुलपति द्वारा इस निमित प्राधिकृत कोई संकायाध्यक्ष संकाय के संकायाध्यक्ष की शक्तियों का प्रयोग करेगा।

5.02–जब संकायाध्यक्ष का पद रिक्त हो या जब संकायाध्यक्ष रूग्णता, अनुपस्थिति या किसी अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो तो पद के कर्तव्यों का निर्वहन ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जायेगा जिसे कुलपति प्राधिकृत करें।

5.03–संकायाध्यक्ष संकाय का प्रमुख होगा और आचरण और संकाय में अध्यापन और शोध के स्तर को बनाये रखने का उत्तरदायी होगा और उसके ऐसे अन्य कृत्य होंगे जैसे विहित किये जायें।

5.04–संकायाध्यक्ष का यथास्थिति अध्ययन बोर्ड या संकायों की समितियों की किसी बैठक में उपस्थित रहने और बोलने का अधिकार होगा परन्तु उसे वहाँ मतदान का अधिकार नहीं होगा जब तक कि वह उसका सदस्य न हो।

विभागों के अध्यक्ष

5.05—ऐसे विभागों के मामले में जिनमें एक से अधिक आचार्य हों, विभागाध्यक्ष की नियुक्ति आचार्यो में से कुलपति की संस्तुति पर कार्यपरिषद द्वारा की जायेगी:

परन्तु यह कि जहाँ विभाग में एक ही आचार्य है, तो वही उस विभाग का अध्यक्ष होगा।

5.06—ऐसे विभागों के मामले में जहॉ कोई आचार्य नहीं है, कार्यपरिषद कुलपति की संस्तुति पर किसी उपाचार्य को विभागाध्यक्ष नियुक्ति कर सकती है:

परन्तु यह कि कोई आचार्य या उपाचार्य विभागाध्यक्ष की नियुक्ति के प्रस्ताव को अस्वीकार करने के लिए स्वतंत्र होगा।

5.07—विभागाध्यक्ष के रूप में नियुक्त व्यक्ति तीन वर्ष की अवधि के लिये पद धारण करेगा और वह पुनर्नियुक्त के लिए अर्ह होगा।

5.08—कोई विभागाध्यक्ष अपनी पदावधि में किसी भी समय पद से त्याग-पत्र दे सकता है।

5.09—कोई विभागाध्यक्ष ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जैसा विहित किया जाये।

कुलानुशासक

5.10—कुलानुशासक की नियुक्ति कार्य परिषद द्वारा कुलपति की संस्तुति पर विश्वविद्यालय के अध्यापकों में से की जायेगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेगा जैसी कुलपति द्वारा उसे समनुदेशित की जाय।

5.11—कुलानुशासक ऐसी अवधि के लिए पद धारण करेगा जैसी कार्य परिषद द्वारा विनिर्दिष्ट की जाये और पुनर्नियुक्ति के लिए अर्ह होगा। कुलानुशासक अपने पद के कर्तव्यों का निर्वहन अध्यापक के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन अध्यापक के रूप में अपने कर्तव्यों के अतिरिक्त करेगा।

5.13—कुलानुशासक ऐसे मानदेय के लिए अर्ह होगा जैसा कुलपति द्वारा अवधारित किया जाय।

5.14—पुस्तकालयाध्यक्ष की नियुक्ति कार्य परिषद द्वारा इस प्रयोजन के लिए गठित चयन समिति की संस्तुति पर की जायेगी। वह विश्वविद्यालय का पूर्ण कालिक वैतनिक अधिकारी होगा।

5.15—पुस्तकालयाध्यक्ष ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का सम्पादन करेगा तथा उसकी ऐसी परिलब्धियाँ होंगी जैसी कि राज्य सरकार या कार्य परिषद द्वारा समय-समय पर राज्य सरकार के अनुमोदन के अधीन अवधारित की जायं। पुस्तकालयाध्यक्ष के सेवा की अन्य शर्तें ऐसी होंगी जैसी कार्य परिषद द्वारा अवधारित की जाय।

अध्याय—छः
विश्वविद्यालय के प्राधिकारी

कार्य परिषद की बैठकें

6.01—कार्य परिषद की प्रत्येक बैठक ऐसे दिनांक ऐसे समय और ऐसे स्थान होगी जैसी कुलपति द्वारा नियत की जाये।

6.02—कार्य परिषद की साधारण बैठक की सूचना बैठक के कम से कम चौबीस दिन पूर्व सभी सदस्यों को भेज दी जायेगी। बैठक की कार्य सूची बैठक से कम से कम दस दिन अग्रिम में भेजी जायेगी।

6.03—किसी आपात की दशा में कार्यपरिषद की विशेष बैठक कुलपति द्वार अल्प सूचना पर बुलायी जा सकेगी।

विद्यापरिषद की अन्य शकित्याँ और कृत्य

6.04—अधिनियम में निहित समस्त अन्य शक्तियों के अतिरिक्त, विद्या परिषद की निम्नलिखित शक्तियॉ होंगी,—

(क) अपनी किसी भी शक्ति को कुलपति, संकायाध्यक्ष, कुलसचिव या वित्त अधिकारी या विश्वविद्यालय के प्राधिकारी या अपने द्वारा नियुक्त समिति को, जैसा कि वह उचित समझे, प्रत्यायोजित करना;

(ख) आवास पर लेखक को आमंत्रित करने की व्यवस्था करना और ऐसे आमंत्रणों की शर्तों और निबन्धनों को अवधारित करना ;

(ग) अतिथि आचार्यों, प्रतिष्ठित आचार्यों, परामर्शदाताओं और विद्वानों की नियुक्ति की व्यवस्था करना और ऐसी नियुक्तियों की शर्तों और निबन्धनों को अवधारित करना ;

(घ) विश्वविद्यालय की शैक्षिक नीतियों पर सामान्य पर्यवेक्षण रखना और प्रशिक्षण की रीतियों के सम्बन्ध में निदेश देना, संस्थाओं के मध्य शिक्षण में समन्वय बनाना और अनुसंधान का मूल्यांकन या शैक्षिक स्तरों की व्यवस्था करना;

(ङ) अन्तर शाखा समन्वय बनाना, अन्तर शाखा आधार पर परियोजनाओं को स्वीकार करने के लिए समिति या बोर्ड स्थापित करना;

(च) सामान्य शैक्षिक हितों के मामलों पर या तो स्वप्रेरणा से या किसी शाखा या कार्यपरिषद के सन्दर्भ पर विचार करना और उन पर उपयुक्त कार्रवाई करना।

6.05—पद सृजन से सम्बन्धित सभी मामले और ऐसी मदों, जिन्हें बजट में सम्मिलित नहीं किया गया है, का परीक्षण विचारार्थ और टिप्पणी करने के लिए वित्त समिति द्वारा किया जायेगा और इसके पश्चात कार्यपरिषद को प्रस्तुत किया जायेगा।

6.06—वित्त समिति विश्वविद्यालय की आय और संसाधनों (जिसमें उत्पादक कार्यों की दशा में ऋणों से आय भी है) के आधार पर वर्ष के लिए कुल आवर्ती व्यय तथा कुल अनावर्ती व्यय की सीमा की संस्तुति करेगी।

अध्याय—सात
विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारी

अध्ययन की शाखाएं और विभाग

7.01—विश्वविद्यालय की अध्ययन की ऐसी शाखाएं होंगी जैसी राज्य सरकार के आदेश संख्या 2893/65-2—2008—57(विविध)-2008 विकलांग कल्याण अनुभाग—2, दिनांक 30 दिसम्बर, 2008 में वर्णित है और इस परिनियमावली के अनुलग्नक-क में अन्तर्विष्ट हैं। अध्ययन की शाखाओं में अग्रतर वृद्धि राज्य सरकार के अनुमोदन के अधीन राज्य सरकार या कार्यपरिषद द्वारा की जा सकेगी।

7.02—प्रत्येक शाखा का एक शाखा बोर्ड होगा और पहले शाखा बोर्ड के सदस्यों को कार्य परिषद द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जायेगा और वे तीन वर्ष के लिए पद धारण करेंगे।

7.03—शाखा बोर्ड की शक्तियां और कृत्य विद्या परिषद द्वारा अवधारित किये जायेंगे।

7.04—किसी शाखा बोर्ड की बैठकों का संचालन और ऐसी बैठकों के लिए अपेक्षित गणपूर्ति विद्या परिषद द्वारा अवधारित की जायेगी।

7.05—प्रत्येक शाखा बोर्ड में ऐसे विभाग होंगे जैसे विद्या परिषद द्वारा उसे समनुदेशित किये जाय :

परन्तु यह कि कार्य परिषद, विद्यापरिषद की संस्तुति पर अध्ययन केन्द्रों की स्थापना कर सकती है विश्वविद्यालय के ऐसे शिक्षक उन्हें समनुदेशित किये जा सकते हैं जिन्हें कार्य परिषद आवश्यक समझे।

7.06—प्रत्येक विभाग में निम्नलिखित होंगे :—

(एक) शाखा का संकायाध्यक्ष ;

(दो) विभाग से सम्बद्ध मानद आचार्य, यदि कोई हो ;

(तीन) विभाग के अध्यापक ;

(चार) विभाग में शोध कर रहे व्यक्ति, और

(पाँच) ऐसे अन्य व्यक्ति जो अधिनियम या परिनियमावली के अनुसार विभाग के सदस्य हो सकते हैं।

7.07—प्रत्येक विभाग का एक अध्ययन बोर्ड होगा। अध्ययन बोर्ड

7.08—अध्ययन बोर्ड का गठन और इसके सदस्यों की पदावधि विद्या परिषद द्वारा अवधारित की जायेगी।

7.09—विद्या परिषद के समग्र नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन, विभिन्न उपाधियों के लिए शोध के विषयों और शोध उपाधियों की अन्य अपेक्षाओं को अनुमोदित करना और विद्या परिषद द्वारा विहित रीति में संबंधित शाखा बोर्ड को निम्नलिखित की संस्तुति करना अध्ययन बोर्ड के कृत्य होंगे :—

(क) शोध उपाधियों को छोड़कर स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए अध्ययन के पाठ्यक्रम और परीक्षकों की नियुक्ति ;

(ख) शोध पर्यवेक्षकों की नियुक्ति ; और

(ग) स्नातकोत्तर शिक्षण और शोध के स्तर में सुधार के लिए उपाय :

परन्तु यह कि अध्ययन बोर्ड के उपर्युक्त कृत्य अधिनियम के प्रारम्भ होने के ठीक पश्चात् तीन वर्षों की अवधि के दौरान विभाग द्वारा सम्पादित किये जायेंगे।

अध्याय—आठ
अध्यापकों की नियुक्ति एवं पदोन्नति

8.01—विश्वविद्यालय में अध्यापकों की नियुक्ति और उनकी वृत्ति विकास के लिए अपेक्षित अर्हताएं, समय-समय पर यथासंशोधित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालयों और उनसे सम्बद्ध संस्थाओं में अध्यापकों की नियुक्ति और वृत्ति विकास के लिए अपेक्षित न्यूनतम अर्हताएं) विनियमावली, 2000 द्वारा विहित अर्हताओं के अनुसार होंगी। नियमित नियुक्ति

8.02 विश्वविद्यालय के विशिष्ट शिक्षा संकाय में अध्यापकों विशेष शिक्षाविदों, प्रशिक्षकों, चिकित्सा विज्ञानिकों और अन्य विशेषज्ञों की नियुक्ति हेतु अर्हताएं वही होंगी जैसा कि भारतीय पुनरुद्धार परिषद द्वारा समय-समय पर विहित की जायें।

8.03—भारतीय पुनरुद्धार परिषद के विनियम या मार्ग दर्शन, विश्वविद्यालय के विशिष्ट शिक्षा संकाय के अध्यापन और अन्य पदों की सेवा शर्तों, वृत्ति विकास और अर्हताओं के लिए प्रयोज्य होंगे।

8.04—परिनियम 8.01, 8.02, 8.03 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कार्यपरिषद, किसी उच्च शैक्षणिक विशिष्टता प्राप्त और वृत्तिक उपलब्धि वाले व्यक्ति को, ऐसे निबन्धन और शर्तों पर जैसा कि वह उचित समझे विश्वविद्यालय में यथास्थिति आचार्य या उपाचार्य के पद या किसी अन्य शैक्षणिक पद को स्वीकार करने के लिए आमंत्रित कर सकता है और ऐसा करने के लिए सहमति देने वाले व्यक्ति को उक्त पद पर नियुक्त कर सकता है। नियुक्ति की विशेष रीति

8.05—कार्यपरिषद पक्षकारों के मध्य निष्पादित समझौता ज्ञापन में निर्धारित रीति के अनुसार किसी संयुक्त परियोजना का जिम्मा लेने के लिए किसी अन्य विश्वविद्यालय या संगठन में कार्यरत किसी अध्यापक या किसी अन्य शैक्षणिक कर्मचारिवर्ग की नियुक्त कर सकता है।

8.06—कार्यपरिषद इस अध्याय में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार चयनित किसी व्यक्ति को ऐसी निबन्धन और शर्तों पर जैसा कि वह उचित समझे, किसी नियत अवधि के लिए नियुक्त कर सकता है। नियत कार्यवाही हेतु नियुक्ति

अध्याय–नौ

विश्वविद्यालय के अध्यापकों की सेवाशर्तें

9.01–किसी अध्यापक को 10 माह की अनधिक अवधि के लिए छुट्टी प्रदान करने के कारण हुई रिक्ति में नियुक्ति के मामले के सिवाय विश्वविद्यालय के अध्यापकों की नियुक्ति परिशिष्ट 'क' में दिये गये प्रपत्र में लिखित संविदा के आधार पर की जायेगी।

9.02–विश्वविद्यालय का अध्यापक कर्तव्य के प्रति सदैव पूर्ण सत्यनिष्ठा और अनुरक्ति बनाये रखेगा और परिशिष्ट 'ख' में दी गयी ऐसी आचरण संहिता का अनुपालन करेगा जो नियुक्ति के समय अध्यापक द्वारा हस्ताक्षर किये जाने वाले करार का अंग होगा।

9.03–परिशिष्ट 'ख' में दिये गये आचरण संहिता के किसी उपबन्ध का उल्लंघन किया जाना परिनियम 9.04 के खण्ड (1) के अर्थान्तर्गत अवचार समझा जाएगा।

9.04–(1) विश्वविद्यालय के अध्यापक को निम्नलिखित एक या उससे अधिक आधारों पर पदच्युत किया जा सकता है या हटाया जा सकता है या उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकती है :–

(क) कर्तव्य की जान बूझकर उपेक्षा;

(ख) अवचार;

(ग) सेवा संविदा के किसी निबंधन का उल्लंघन;

(घ) विश्वविद्यालय की परीक्षाओं से सम्बन्धित अशुचिता;

(ङ) नैतिक अधमता से ग्रस्त कलंकात्मक आचरण या किसी अपराध हेतु दोष सिद्धि;

(च) शारीरिक या मानसिक अस्वस्थता;

(छ:) अक्षमता;

(ज) पद समापन;

(2) संविदा समापन के लिए किसी भी ओर से अन्यून तीन माह की नोटिस दी जाएगी (या जहॉ नोटिस अक्तूबर माह के पश्चात दी जाती है तो वहॉ तीन माह की नोटिस या सत्र समाप्ति पर सूचना, जो भी दीर्घ अवधि की हो) या ऐसी नोटिस के बदले में तीन माह (या यथापूर्वोक्त दीर्घ अवधि) के वेतन का भुगतान किया जाएगा :

परन्तु यह कि जहॉ विश्वविद्यालय खण्ड (1) के अधीन विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक को पदच्युत करता है या हटाता है या उसकी सेवाएं समाप्त करता है, या जब अध्यापक विश्वविद्यालय द्वारा उसके किसी निबन्धन का उल्लंघन किये जाने के निमित्त संविदा को समाप्त करता है तो ऐसा कोई नोटिस आवश्यक नहीं होगा।

परन्तु यह और कि सम्बद्ध पक्षकार पारस्परिक करार द्वारा नोटिस के शर्त को पूर्णतः या अंशतः अधित्यक्त करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

9.05–परिनियमावली में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, विश्वविद्यालय कि किसी सवेतन अधिकारी और अध्यापक की नियुक्ति अधिनियम परिनियमावली और अध्यादेशों के उपबन्धों से संगत एक लिखित संविदा के सिवाय नहीं की जाएगी।

9.06–परिनियम 9.01 में निर्दिष्ट नियुक्ति की मूल संविदा, नियुक्ति के दिनांक से तीन माह के भीतर कुलसचिव के पास पंजीकरण के लिए दर्ज की जाएगी और उसकी एक प्रति संबंधित अधिकारी या अध्यापक को प्रस्तुत की जाएगी।

9.07–(1) परिनियम 9.04 के खण्ड–1 में उल्लिखित किसी आधार पर (नैतिक अधमता से संबंधित किसी अपराध के लिए दोषसिद्धि या पद समाप्ति के मामलों के सिवाय) विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक को पदच्युत, हटाये जाने या सेवा समापन के आदेश नहीं पारित किये जायेंगे, जब तक कि अध्यापक के विरुद्ध आरोप न तैयार कर लिया गया हो और ऐसी प्रस्तावित कार्यवाही किये जाने के कारणों/आधारों के विवरण सहित उसे सूचित न कर दिया गया हो और उसे :–

(क) अपने बचाव में लिखित अभिकथन प्रस्तुत करने;

(ख) व्यक्तिगत रूप से सुने जाने का, यदि वह ऐसा चयन अपने बचाव में करे; और

(ग) ऐसे गवाहों को बुलाये जाने और परीक्षण किये जाने का जैसा वह चाहे;

पर्याप्त अवसर न दिया गया हो :

परन्तु यह कि कार्यपरिषद या उसके द्वारा जॉच करने के लिए प्राधिकृत कोई अधिकारी, ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे, किसी गवाह को बुलाने से इन्कार कर सकता है।

(2) कार्यपरिषद, जॉच अधिकारी की रिपोर्ट के दिनांक से सामान्यतया दो माह के भीतर किसी भी समय संबंधित अध्यापक को सेवा से पदच्युत करते हुए या हटाते हुए या सेवा समाप्त करते हुए एक प्रस्ताव पारित कर सकती है जिसमें ऐसे पदच्युत किये जाने, हटाये जाने या सेवा समापन के कारणों को उल्लिखित किया जायेगा।

(3) ऐसा प्रस्ताव संबंधित अध्यापक को तत्काल संसूचित किया जायेगा।

(4) कार्यपरिषद, अध्यापक को पदच्युत, हटाने या सेवा समाप्त करने के बजाये, तीन वर्ष से अनधिक किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए अध्यापक का वेतन घटाये जाने और या किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए उसकी वेतन वृद्धि रोके जाने का अल्पतर दंड आरोपित करते हुए प्रस्ताव पारित कर सकती है या अध्यापक के निलम्बन, यदि कोई, के दौरान उसको वेतन से वंचित रख सकती है।

अध्यापकों को अनुमन्य अतिरिक्त लाभकारी कार्यों की सीमा

9.08–(1) किसी भारतीय विश्वविद्यालय या लोक सेवा आयोग से भिन्न किसी निकाय द्वारा आयोजित किसी परीक्षा के सम्बन्ध में निष्पादित किन्हीं कार्यों के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय के अध्यापकों को पारिश्रमिक के भुगतान संबंधी शर्तें ऐसी होंगी जैसी विहित की जाएंगी।

(2) विश्वविद्यालय का कोई अध्यापक किसी भी समय, अध्यापन से भिन्न कार्यों वाले या किसी परीक्षा से संबंधित कार्यों वाले एक से अधिक लाभकारी पद धारण नहीं करेगा।

स्पष्टीकरण : शब्द लाभकारी पद में किसी हाल या हास्टल का वार्डेन या अधीक्षक का पद, कुलानुशासक, खेल अधीक्षक, पुस्तकालयाध्यक्ष और राष्ट्रीय कैडेट कोर, राष्ट्रीय संगठन, राष्ट्रीय सेवा योजना और विश्वविद्यालय सेवा योजन कार्यालय में कोई पद और ऐसे अन्य समान पद सम्मिलित है।

अनुशासन समिति

9.09–(1) कार्यपरिषद, ऐसी कार्यविधि के लिए जैसा वह उचित समझे, विश्वविद्यालय में एक अनुशासन समिति का गठन करेगी जिसमें कुलपति और उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट दो अन्य व्यक्ति होंगे

परन्तु यह कि यदि कार्यपरिषद समीचीन समझे, तो वह विभिन्न मामलों या मामलों के समूह के विचारण हेतु एक से अधिक ऐसी समितियों का गठन कर सकती है।

(2) कोई अध्यापक, जिसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही का कोई मामला लंबित हो, मामले के निस्तारण की अनुशासन समिति का सदस्य नहीं होगा।

(3) कार्यपरिषद किसी भी स्तर पर किसी मामले को एक अनुशासन समिति से दूसरे अनुशासन समिति को स्थानान्तरित कर सकती है।

(4) अनुशासन समिति के कृत्य निम्नवत् होंगे :–

(क) विश्वविद्यालय के किसी कर्मचारी द्वारा की गयी किसी अपील का विनिश्चय;

(ख) विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक या पुस्तकालयाध्यक्ष के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के मामलों में जॉच आयोजित करना;

(ग) ऊपर उपखण्ड (ख) में निर्दिष्ट किसी कर्मचारी के विरुद्ध लंबित या अनुध्यात जॉच में ऐसे कर्मचारी के निलम्बन की संस्तुति;

(घ) ऐसी शक्तियॉ का प्रयोग और ऐसे अन्य कृत्यों का निष्पादन जो उसे परिषद द्वारा, समय-समय पर सौंपे जायें।

(5) समिति के सदस्यों के मध्य राय की विभिन्नता के मामले में बहुमत का निर्णय अभिभावी होगा।

(6) अनुशासनिक समिति के विनिश्चिय या रिपोर्ट को यथा सम्भव शीघ्र कार्यपरिषद के समक्ष रखा जाएगा ताकि कार्यपरिषद सम्बन्धित मामले में अपना विनिश्चय कर सके।

9.10–परिनियम 9.09 में निर्दिष्ट अनुशासनिक समिति परिनियम 9.04 के खण्ड (1) के उपखण्ड (क) से (ङ) में उल्लिखित आधार पर किसी अध्यापक के विरुद्ध जॉच के लंबित या अनुध्यात रहने के दौरान अध्यापक के निलम्बन की संस्तुति कर सकती है। निलम्बन आदेश यदि जॉच को ध्यान में रखते हुए पारित किया गया हो तो प्रवृत्त होने के चार सप्ताह की समाप्ति पर निष्प्रभावी हो जाएगा, जब तक कि इसी बीच अध्यापक को ऐसे आरोप या आरोपों के सम्बन्ध में संसूचित न कर दिया गया हो जिनके आधार पर जॉच का अनुध्यात किया गया था।

(2) विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक को निलम्बन के अधीन समझा जायेगा–

(क) अपनी दोषसिद्धि के दिनांक से यदि किसी अपराध के लिए दोषसिद्धि की दशा में, उसे 48 घण्टे से अधिक की अवधि तक कारावास से दण्डित किया जाता है और ऐसी दोषसिद्धि के परिणाम स्वरूप उसे तत्काल पदच्युत किया या हटाया नहीं जाता है;

(ख) किसी अन्य दशा में हिरासत की अवधि तक, यदि उसे अभिरक्षा में हिरासत में रखा जाता है, हिरासत चाहे अपराधिक आरोप के लिए हो या अन्यथा हो।

स्पष्टीकरण : इस खण्ड के उपखण्ड (क) में निर्दिष्ट 48 घण्टे की अवधि की गणना दोषसिद्धि के पश्चात् कारावास के प्रारम्भ से की जायेगी और इस प्रयोजन के लिए कारावास की आंतरायिक कालावधियॉ, यदि कोई हों, को ध्यान में रखा जायेगा।

(3) जहॉ विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक की सेवा से पदच्युति या हटाये जाने के आदेश को अधिनियम या इन परिनियमों के अधीन या अन्यथा किसी कार्यवाही के परिणामस्वरूप अपास्त कर दिया जाता है या शून्य घोषित कर दिया जाता है या शून्य दिया जाता है, और विश्वविद्यालय का समुचित अधिकारी, प्राधिकारी या निकाय उसके विरुद्ध अग्रतर जॉच करने का विनिश्चय करता है और तब यदि अध्यापक ऐसी पदच्युति या हटाये जाने के तत्काल पूर्व निलम्बन के अधीन रहा हो, तो निलम्बन आदेश को पदच्युति या हटाया जाने के मौलिक आदेश के दिनांक को और से प्रवृत्त रहा समझा जाएगा।

(4) इस निलम्बन की अवधि के दौरान विश्वविद्यालय का अध्यापन उत्तर प्रदेश सरकार के वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड–दो (समय–समय पर यथा संशोधित) के भाग–दो के अध्याय–आठ की उपबन्धों के अनुसार निर्वाह भत्ता पाने का हकदार होगा जो यथावश्यक परिवर्तन के साथ लागू हों:

9.11–परिनियम 9.07 के खण्ड (2) या परिनियम 9.08 के खण्ड (1) के प्रयोजनों के लिए अधिकतम अवधि की संगणना करने में वह अवधि, जिसके दौरान किसी न्यायालय से रोक आदेश प्रवर्तन में रहा हो, अपवर्जित कर दी जाएगी।

9.12–विश्वविद्यालय का कोई भी अध्यापक किसी कैलेण्डर मास में विश्वविद्यालय की किसी परीक्षा के सम्बन्ध में सम्पादित किसी कर्तव्य के लिए कोई पारिश्रमिक, जो उस कैलेण्डर मास में उसके कुल वेतन के एक छठवें भाग या पचास हजार रुपये, जो भी कम हों, से अधिक आहरित नहीं करेगा।

9.13–इस परिनियमावली में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी–

(एक) विश्वविद्यालय का कोई अध्यापक जो संसद या राज्य विधान मण्डल का सदस्य हो, अपनी सदस्यता की पूरी अवधि में विश्वविद्यालय में कोई प्रशासनिक या लाभकारी पद धारण नहीं करेगा;

(दो) यदि विश्वविद्यालय का कोई अध्यापक संसद या विधान मण्डल के सदस्य के रूप में अपने निर्वाचन या नामनिर्देशन के दिनांक के पूर्व से विश्वविद्यालय में कोई प्रशासनिक या लाभकारी पद धारण कर रहा हो तो वह ऐसे निर्वाचन या नामनिर्देशन के दिनांक से या इस परिनियमावली के प्रारम्भ होने के दिनांक से, जो भी पश्चात्वर्ती हो, ऐसा पद धारण करने से प्रविरत हो जाएगा;

(तीन) विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक को, जो संसद या विधान मण्डल में निर्वाचित या नामनिर्दिष्ट किया गया हो, अपनी सदस्यता के दौरान सिवाय किसी सदन की बैठक या उसकी कमेटी में सम्मिलित होने के लिये, विश्वविद्यालय से त्याग-पत्र देने या अवकाश लेने की आवश्यकता नहीं होगी।

स्पष्टीकरण–विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या निकाय की सदस्यता या किसी संकाय के संकायाध्यक्ष पद या किसी महाविद्यालय के प्रधानाचार्य पद को इस परिनियमावली के प्रयोजनों के लिए प्रशासनिक पद नहीं समझा जाएगा।

9.14–कार्यपरिषद दिनों की ऐसी न्यूनतम संख्या निर्धारित करेगी जिसके दौरान ऐसा अध्यापक विश्वविद्यालय में अपने शैक्षणिक कर्तव्यों के लिए उपस्थित रहेगा :

परन्तु यह कि जहाँ विश्वविद्यालय का कोई अध्यापक संसद या राज्य विधान मण्डल के सत्र के कारण इस प्रकार उपलब्ध न हों, वहाँ वह ऐसे अवकाश पर, जैसा उसे देय हो, और यदि कोई अवकाश देय न हो तो बिना वेतन अवकाश पर समझा जाएगा।

विश्वविद्यालय के अध्यापकों के लिए छुट्टी के नियम

9.15–छुट्टी निम्नलिखित प्रकार की होगी–

(क) आकस्मिक छुट्टी

(ख) विशेषाधिकार छुट्टी

(ग) बीमारी की छुट्टी

(घ) ड्यूटी की छुट्टी

(ङ) दीर्घकालिक छुट्टी

(च) असाधारण छुट्टी

(छः) प्रसूति छुट्टी

9.16–आकस्मिक छुट्टी एक मास में सात दिन या एक सत्र में 14 से अनधिक दिन के लिए पूर्ण वेतन पर होगी और वह संचित नहीं होगी। वह समान्यतया अवकाशों के साथ संयुक्त नहीं की जाएगी, किन्तु विशेष परिस्थितियों में कुलपति ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जाएंगे, इस शर्त का अधित्यज़न कर सकता है।

9.17–विशेषाधिकार छुट्टी एक सत्र में दस कार्य दिवस तक पूर्ण वेतन पर होगी और वह 60 कार्य दिवस तक संचित हो सकेगी।

9.18–बीमारी की छुट्टी एक सत्र में एक माह के लिए न्यूनतम आधे वेतन के साथ वेतन की वर्तमान दर और छुट्टी व्यवस्था, यदि कोई हो, की कुल लागत के मध्य अन्तर के आधार पर होगी और वह संचित नहीं होगी।

9.19–विश्वविद्यालय के निकायों, तदर्थ समितियों और ऐसे सम्मेलनों, जिसका कोई अध्यापक पदेन सदस्य हो या जिसमें वह विश्वविद्यालय द्वारा नामित किया गया हो, की किसी बैठक में सम्मिलित होने के लिए पूर्ण वेतन पर 15 कार्य दिवस तक ड्यूटी पर छुट्टी होगी।

9.20–दीर्घकालिक छुट्टी एक सत्र में एक मास के लिए अर्ध वेतन पर होगी, और बारह मास तक संचित हो सकेगी और वह लम्बी बीमारी, अत्यधिक कार्यों, अनुमोदित अध्ययनों या सेवानिवृत्ति पूर्व जैसे कारणों के लिए प्रदान की जायेगी :

परन्तु यह कि लम्बी बीमारी की दशा में छुट्टी कार्यपरिषद के विवेक पर, छह मास से अनधिक की अवधि के लिए पूर्ण वेतन पर प्रदान की जा सकेगी। ऐसी छुट्टी पॉच वर्ष की निरन्तर सेवा के पश्चात् ही लम्बी बीमारी के मामले को छोड़ कर, प्रदान की जाएगी:

परन्तु यह और कि ऐसे अध्यापकों को जिन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अध्यापक अध्येतावृत्ति के लिए या आयोग द्वारा प्रायोजित किसी अन्य योजना के अधीन विदेश में प्रशिक्षण या अध्ययन के लिए चयनित किया गया हो, ऐसी अध्येतावृत्ति प्रशिक्षण या अध्ययन की अवधि तक राज्य सरकार द्वारा यथा विहित निबन्धन एवं शर्तों पर पूर्ण वेतन पर छुट्टी प्रदान की जायेगी।

9.21–असाधारण छुट्टी बिना वेतन की होगी। यह ऐसे कारणों से जैसा कार्य परिषद उचित समझे, प्रारम्भ में तीन वर्ष से अनधिक अवधि के लिए प्रदान की जा सकेगी, किन्तु यह विशेष परिस्थितियों में दो वर्ष से अनधिक वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकेगी।

स्पष्टीकरण–ऐसा अध्यापक जो कोई स्थायी पद धारण करता हो या जो किसी निम्नतर पद पर स्थायी होकर किसी उच्चतर पद पर तीन से अधिक वर्ष तक स्थानापन्न रूप से कार्य कर रहा हो, राज्य सरकार की सहमति के अधीन रहते हुए, उच्चतर वैज्ञानिक या तकनीकी अध्ययन प्रारम्भ करने के लिए स्वीकृत की गयी असाधारण छुट्टी की अवधि को समय वेतनमान में अपनी वेतन वृद्धि में संगणित कराने के लिए हकदार होगा।

2–राज्य सरकार की सहमति के अधीन रहते हुए, कोई अध्यापक जो अस्थायी पद धारण कर रहा हो और उसे ऐसी छुट्टी स्वीकृत की गयी हो उसे ऐसी छुट्टी से वापस आने पर समय वेतनमान में ऐसे स्तर पर जैसा वह छुट्टी पर न जाने की दशा में पहुँचे तो, वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड दो से चार के मूल नियम 27 के अनुसार निर्धारित अपना वेतन पाने का हकदार होगा, परन्तु उक्त अध्ययन जिसके लिए ऐसी छुट्टी प्रदान की गयी थी, लोक हित में हो।

9.22– प्रसूति छुट्टी महिला अध्यापकों के लिये होगी जो ऐसी छुट्टी के प्रारम्भ होने के दिनांक से छः मास की अवधि तक या प्रसव के दिनांक से बारह सप्ताह की अवधि तक जो भी पूर्वतर हो, हो सकती है:

परन्तु यह कि ऐसी छुट्टी अध्यापक की सम्पूर्ण सेवा में दो बार से अधिक बार नहीं प्रदान की जाएगी।

9.23–छुट्टी पर दावा अधिकार के रूप में नहीं किया जा सकेगा। यदि अवसर की आवश्यकता की मॉग हो तो स्वीकृत प्राधिकारी किसी प्रकार की छुट्टी को अस्वीकार कर सकता है और पहले से स्वीकृत छुट्टी को रद्द भी कर सकता है।

9.24–लम्बी बीमारी के कारण बीमारी की छुट्टी या दीर्घकालिक छुट्टी किसी पंजीकृत चिकित्सक के चिकित्सा प्रमाण–पत्र के प्रस्तुत करने पर प्रदान की जाएगी। ऐसी छुट्टी के 14 दिन से अधिक होने की दशा में कुलपति स्वयं द्वारा अनुमोदित किसी पंजीकृत चिकित्सक से दूसरे प्रमाण–पत्र की मॉग करने के लिए सक्षम होगा।

9.25–कुलपति छुट्टी प्रदान करने वाला सक्षम प्राधिकारी होगा, सिवाय दीर्घकालिक छुट्टी और असाधारण छुट्टी के मामले में जो कार्य परिषद द्वारा प्रदान की जायेगी।

अध्याय–दस

शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की सेवा की शर्तें

10.01–विश्वविद्यालय में समूह "ग" के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के लिए अपेक्षित अर्हताएं और अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया समय–समय पर यथा संशोधित समूह "ग" के लिए उत्तर प्रदेश सीधी भर्ती (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर) नियमावली, 2002 के उपबन्धों के अनुसार की जायेगी:

परन्तु यह कि वे पद जो या तो उपर्युक्त नियम के अधीन आच्छादित नहीं है या जो ज्येष्ठ स्तर के हैं, ऐसे पद पर नियुक्त विश्वविद्यालय के लिए पदों के सृजन से सम्बन्धित राज्य सरकार के शासनादेश संख्या 2893/65–2–2008–57(विविध)/2008, दिनांक 30 दिसम्बर, 2008 में दिये गये उपबन्धों के अनुसार या तो प्रति नियुक्ति द्वारा या सेवा स्थानान्तरण द्वारा की जाएगी:

परन्तु यह और कि जहाँ उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न हों और पात्र अभ्यर्थी विश्वविद्यालय में अपनी पूर्ण सेवा प्रदान करने के लिए इच्छुक हों वहाँ ऐसे ज्येष्ठ स्तर के पद पर नियुक्ति सीधे कुलसचिव द्वारा ऐसे अभ्यर्थियों में से की जाएगी जो शासनादेश संख्या–2893/65–2–2008–57 (विविध)/2008, दिनांक 30 दिसम्बर, 2008 में दिये गये वेतनमान और ज्येष्ठता के मानदंड पूरा करते हैं:

परन्तु यह भी कि ज्येष्ठ स्तर के पदों पर नियुक्ति केवल तभी तक की जायेगी जब ऐसे पदों पर पदोन्नति के लिए कनिष्ठ स्तर के पदों पर अभ्यर्थी उपलब्ध न हों।

10.02–सीधे भर्ती या प्रतिनियुक्ति द्वारा या सेवा स्थानांतरण द्वारा नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता विश्वविद्यालय में सेवा में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अवधारित की जायेगी:

परन्तु यह कि जहाँ संयुक्त चयन सूची के माध्यम से एक से अधिक अभ्यर्थियों की नियुक्ति की गयी है, वहाँ अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता चयन सूची में उनकी योग्यता द्वारा अवधारित की जाएगी।

ज्येष्ठ पदों पर चयनित अभ्यर्थियों की सेवाओं को उनके द्वारा उनके मूल विभाग में प्राप्त की जा रही सभी सुविधाओं और वेतन को ध्यान में रखा जायेगा।

10.03–समूह "ग" के कर्मचारियों के वृत्ति विकास एवं पदोन्नति के अवसर उसी प्रकार होंगे जैसा कि कार्य परिषद द्वारा समय–समय पर विनियमों द्वारा अवधारित किये जाये।

10.04–विश्वविद्यालय के अध्यापकों एवं अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों से भिन्न विश्वविद्यालय के सभी कर्मचारी किसी उपबन्ध के प्रभाव में समय–समय पर कार्य परिषद द्वारा यथा अवधारित सेवा के निबन्धनों एवं शर्तों और आचार संहिता द्वारा शासित होंगे।

10.05–जब भी परिनियमों के अनुसार किसी व्यक्ति को ज्येष्ठता के अनुसार चक्रानुक्रम से किसी पद को धारण करना हो या विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी का सदस्य बनना हो तो ऐसी ज्येष्ठता का अवधारण उसकी कोटि में ऐसे व्यक्ति की निरन्तर सेवा की अवधि के अनुसार और ऐसे अन्य सिद्धान्तों के अनुसार किया जाएगा जैसा कार्य परिषद द्वारा समय–समय पर निश्चित किये जायें। ज्येष्ठता सूची

10.06–कुलसचिव का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसे प्रत्येक वर्ग के व्यक्तियों के सम्बन्ध में, जिन पर इस परिनियमावली के उपबन्ध लागू होते हैं, परिनियम 10.05 के उपबन्धों के अनुसार एक पूर्ण एवं अद्यतन ज्येष्ठता सूची तैयार करें।

10.07–यदि दो या उससे अधिक व्यक्तियों की किसी विशेष कोटि में निरन्तर सेवा की अवधि बराबर हो या किसी व्यक्ति या व्यक्तियों की पारस्परिक ज्येष्ठता के सम्बन्ध में अन्यथा संदेह हो तो कुलसचिव स्वप्रेरणा से, और ऐसे किसी व्यक्ति के निवेदन पर, मामले को कार्यपरिषद के समक्ष प्रस्तुत करेगा जिसपर उसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

विश्वविद्यालय के कर्मचारियों का हटाना जाना

10.08—जहाँ किसी अध्यापक के विरूद्ध कदाचार का आरोप हो वहाँ शैक्षणिक कर्मचारिवर्ग का कोई सदस्य या विश्वविद्यालय का अन्य कर्मचारी, कुलपति, अध्यापक या शैक्षणिक कर्मचारिवर्ग के सदस्य के मामले में और कुलसचिव जो नियुक्ति का सक्षम प्राधिकारी है (जिसे आगे नियुक्ति प्राधिकारी कहा गया है), अन्य कर्मचारियों के मामले में यथास्थिति, ऐसे अध्यापक, शैक्षणिक कर्मचारिवर्ग के सदस्य या अन्य कर्मचारी को लिखित आदेश द्वारा निलम्बन के अधीन रख सकता है और वह तत्काल कार्यपरिषद को उन परिस्थितियों के सम्बन्ध में सूचित करेगा जिनमें आदेश दिया गया था :

परन्तु यह कि यदि कार्यपरिषद की यह राय हो कि मामले से सम्बन्धित परिस्थितियां अध्यापक या शैक्षणिक कर्मचारिवर्ग के निलम्बन का समर्थन नहीं करती हैं तो वह ऐसे आदेश को प्रतिसंहृत कर सकती है।

10.09 नियुक्ति संविदा के निबन्धन या कर्मचारियों की सेवा के किन्हीं अन्य निबन्धन एवं शर्तों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कार्यपरिषद, अध्यापकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारिवर्ग के सम्बन्ध में और नियुक्ति प्राधिकारी, अन्य कर्मचारियों के सम्बन्ध में यथास्थिति किसी अध्यापक या शैक्षणिक कर्मचारिवर्ग के किसी सदस्य या अन्य कर्मचारी को कदाचार के आधार पर सेवा से हटा या पदच्युत कर सकता है।

10.10—उपर्युक्त के सिवाय, यथास्थिति, कार्यपरिषद, या नियुक्ति प्राधिकारी किसी अध्यापक, शैक्षणिक कर्मचारिवर्ग के सदस्य या अन्य कर्मचारी को, सिवाय उपयुक्त कारणों से और तीन माह की सूचना देने के पश्चात् या उसके बदले में तीन माह की सेवा का भुगतान करके सेवा से हटाने या पदच्युत करने का हकदार नहीं होगा।

10.11—किसी अध्यापक, शैक्षणिक कर्मचारिवर्ग के सदस्य या अन्य कर्मचारी को सेवा से तब तक हटाया या पदच्युत नहीं किया जायेगा जब तक कि उसके सम्बन्ध में दिये जाने वाले प्रस्तावित आदेश के विरूद्ध उसको कारण बताने का उचित अवसर न प्रदान किया गया हो।

10.12—किसी अध्यापक, शैक्षणिक कर्मचारिवर्ग के सदस्य या अन्य कर्मचारी को सेवा से हटाया जाना या उसकी पदच्युति उस दिनांक से प्रभावी होगी जिस दिनांक को हटाने या पदच्युत करने का आदेश दिया गया था :

परन्तु यह कि जहाँ अध्यापक शैक्षणिक कर्मचारिवर्ग का सदस्य या अन्य कर्मचारी स्वयं को हटाये जाने या पदच्युति के समय निलम्बन के अधीन हो वहाँ उसका हटाया जाना या उसकी पदच्युति उस दिनांक से प्रभावी होगी जिस दिनांक को वह निलम्बन के अधीन रखा गया था।

10.13—इस परिनियमावली के पूर्वगामी उपबन्ध में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई अध्यापक, शैक्षणिक कर्मचारिवर्ग का सदस्य या अन्य कर्मचारी त्यागपत्र दे सकता है—

(क) यदि वह एक स्थायी कर्मचारी है, तो यथास्थिति, कार्यपरिषद या नियुक्ति प्राधिकारी को तीन माह की लिखित सूचना देने के पश्चात ही या उसके बदले में तीन माह के वेतन का भुगतान करके;

(ख) यदि वह एक स्थायी कर्मचारी नहीं है, तो यथास्थिति, कार्यपरिषद या नियुक्ति प्राधिकारी को एक माह की लिखित सूचना देने के पश्चात ही या उसके बदले में एक माह का वेतन का भुगतान करके :

परन्तु यह कि ऐसा त्यागपत्र केवल उसी दिनांक को प्रभावी होगा जब, यथास्थिति, कार्यपरिषद या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा त्यागपत्र स्वीकार किया जाय।

अध्याय–11
प्रवेशों में आरक्षण

11.01–अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) और (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, शैक्षणिक सत्र 2009–10 से विश्वविद्यालय, संस्था, घटक, महाविद्यालय, सम्बद्ध महाविद्यालय या संयुक्त महाविद्यालय में किसी पाठ्यक्रम में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों के लिए निम्नलिखित प्रतिशत में सीट आरक्षित किये जायेंगे, अर्थातः–

अनुसूचित जाति	इक्कीस प्रतिशत
अनुसूचित जनजाति	दो प्रतिशत
नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग	सत्ताईस प्रतिशत

परन्तु यह कि विभिन्न पाठ्यक्रमों के प्रवेश में कम से कम पचास प्रतिशत सीटें निःशक्त व्यक्तियों के लिए आरक्षित रहेंगी जिसमें से पचास प्रतिशत सीटे दृष्टिबाधित छात्रों के लिए आरक्षित रहेंगी। इस प्रकार के आरक्षण के आधार पर प्रवेश के लिए चयनित अभ्यर्थी को उस उपयुक्त श्रेणी में रखा जाएगा जिससे वह सम्बन्धित है। उदाहरणार्थ, यदि उपर्युक्त आधार पर किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए चयनित अभ्यर्थी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित है तो उसे आवश्यक समायोजन करके उस सम्बन्धित श्रेणी में रखा जाएगा जिससे वह सम्बन्धित है इसी प्रकार यदि वह सामान्य श्रेणी से सम्बन्धित है तो उसे आवश्यक समायोजन करने के पश्चात् उसी श्रेणी में रखा जाएगा :

परन्तु यह और कि यदि किसी अन्य राज्य से सम्बन्धित छात्रों के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन या भारत सरकार के किसी आदेश के अधीन आरक्षित सीटों को यदि कोई हो, इस परिनियम के अधीन प्रतिशत की गणना के प्रयोजन के लिए सीटों की कुल संख्या में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

स्पष्टीकरण : इस परिनियम के प्रयोजन के लिए पद सामान्य श्रेणी का तात्पर्य खण्ड (1) में निर्दिष्ट श्रेणियों से भिन्न श्रेणी से है।

11.02–यदि अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित पात्र व्यक्ति परिनियम 11.01 के खण्ड (1) के अधीन उनके लिए आरक्षित सीटों को भरने के लिए उपलब्ध नहीं है तो ऐसी सीट अनुसूचित जाति से सम्बन्धित व्यक्तियों द्वारा भरी जाएंगी।

11.03–जहाँ पात्र अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता के कारण परिनियम 11.01 के खण्ड (1) के अधीन आरक्षित कोई सीट बिना भरी रह जाती है, वहाँ वह उस श्रेणी के अभ्यर्थियों में से, जिसके अधीन पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध है, योग्यता के आधार पर भरी जायेगी।

11.04–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों या निःशक्त अध्यापकों से सम्बन्धित अध्यापकों को, जहाँ तक सम्भव हो, प्रवेश समिति में प्रतिनिधित्व दिया जायेगा जिससे प्रवेश में पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके।

अध्याय–12
प्रकीर्ण उपबन्ध

समितियाँ

12.01–विश्वविद्यालय का कोई प्राधिकरण उतनी संख्या में स्थायी या विशेष समितियां नियुक्त कर सकता है जितनी वह उचित समझे और ऐसी समितियों में ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त कर सकता है जो ऐसे प्राधिकरण के सदस्य नहीं है।

12.02–परिनियम 12.01 के अधीन नियुक्त ऐसी कोई समिति स्वयं को प्रत्यायोजित किसी विषय का प्राधिकरण के पश्चातवर्ती पुष्टि के अधीन रहते हुए, निस्तारण कर सकती है।

मानद उपाधियाँ

12.03–कार्य परिषद विद्या परिषद् की संस्तुति पर और उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो तिहाई बहुमत द्वारा पारित संकल्प द्वारा मानद उपाधि प्रदान करने के लिए सामान्य परिषद के समक्ष प्रस्ताव कर सकती है।

विश्वविद्यालय के छात्रों के मध्य अनुधासन बनाए रखना

12.04—कुलपति अपनी किन्हीं या सभी शक्तियों को जैसा वह उचित समझे, कुलानुशासक को या ऐसे अन्य अधिकारियों को जिन्हें वह इस निमित्त विनिर्दिष्ट करें, विनिर्दिष्ट कर सकता है।

12.05 —अनुशासन बनाए रखने से सम्बन्धित अपनी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कुलपति अपनी शक्तियों के प्रयोग में आदेश द्वारा निदेश दे सकता है कि किसी छात्र या छात्रों को विनिर्दिष्ट अवधि के लिए निष्कासित या बहिस्कृत कर दिया जाये या नियत अवधि तक किसी संस्था या विश्वविद्यालय के किसी विभाग, किसी पाठ्यक्रम या अध्ययन के पाठ्यक्रम में प्रवेश न दिया जाये या आदेश में विनिर्दिष्ट की जाने वाली धनराशि से दण्डित किया जाये या उससे अधिक वर्ष के लिए विश्वविद्यालय, संस्था या विभाग या विद्यालय द्वारा संचालित कोई परीक्षा या परीक्षाएं देने से विवर्जित कर दिया जाये या यह कि उस परीक्षा या परीक्षाओं में जिसमें सम्बन्धित छात्र सम्मिलित हुआ/हुए हैं, उनके परिणाम को रद्द कर दिया जाये।

12.06—संस्थाओं के अध्यक्षों अध्ययन विद्यालयों के संकायाध्यक्षों, और विश्वविद्यालय में अध्यापन विभागों के अध्यक्षों को अपने सम्बन्धित विभागों, विद्यालयों और विश्वविद्यालय के अध्यापन विभागों में छात्रों पर ऐसी समस्त अनुशासनिक शक्तियों का प्रयोग करने का प्राधिकार होगा जैसा ऐसे संस्थाओं, विद्यालयों और विश्वविद्यालय में अध्यापन विभागों में उपयुक्त संचालन के लिए आवश्यक हों।

12.07—कुलपति और परिनियम 12.05 में विनिर्दिष्ट अन्य व्यक्तियों की शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अनुशासन और उचित आचरण की विस्तृत प्रक्रिया विश्वविद्यालय द्वारा तैयार की जाएगी। संस्थाओं के प्रधानाचार्य, अध्ययन विद्यालयों के संकायाध्यक्ष और विश्वविद्यालयों के अध्यापन विभागों के अध्यक्ष भी ऐसे अनुपूरक उपबन्ध बना सकते हैं जैसा उपर्युक्त प्रयोजनों के लिए आवश्यक समझे जायें।

दीक्षान्त समारोह

12.08—उपाधियाँ प्रदान करने या अन्य प्रयोजनों के लिए दीक्षांत समारोहों का आयोजन ऐसे समय और स्थान पर किया जाएगा जैसा कार्यपरिषद द्वारा अवधारित किया जाये।

बैठकों की अध्यक्षता

12.09—जहाँ विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या ऐसे प्राधिकरण के किसी समिति की बैठक की अध्यक्षता करने के लिए अध्यक्ष या सभापति के लिए कोई उपबन्ध न बनाया गया हो या जब इस प्रकार उपबन्धित अध्यक्ष या सभापति अनुपस्थित हों तो उपस्थित सदस्य स्वयं में से किसी एक को ऐसी बैठक की अध्यक्षता करने के लिए चयनित कर लेंगे।

पदत्याग

12.10—किसी पदेन सदस्य से भिन्न सामान्य परिषद कार्यपरिषद, विद्यापरिषद या विश्वविद्यालय के किसी उन्य प्राधिकरण या ऐसे प्राधिकरण के किसी समिति का कोई सदस्य कुलसचिव को सम्बोधित पत्र द्वारा त्यागपत्र दे सकता है और त्यागपत्र कुल सचिव द्वारा स्वीकार किये जाते ही प्रभावी हो जायेगा।

अनर्हताएं

12.11—(1) कोई भी व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण का सदस्य चयनियत किये जाने या होने से अनर्ह हो जाएगा :—

(एक) यदि वह विकृत चित्त हो;

(दो) यदि वह अननुमोचित दिवालिया हो;

(तीन) यदि वह किसी न्यायालय द्वारा नैतिक अधमता से अन्तर्वलित किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया गया हो और उस सम्बन्ध में छः से अन्यून माह तक कारावास से दण्डित किया गया हो।

(2) यदि इस सम्बन्ध में कोई प्रश्न उठता है कि क्या कोई व्यक्ति खण्ड (1) में उल्लिखित अनर्हता से ग्रस्त है तो ऐसे प्रश्न को सामान्य परिषद को निर्दिष्ट किया जाएगा और उसका विनिश्चय अन्तिम होगा और ऐसे विनिश्चय के विरूद्ध किसी न्यायालय में न कोई वाद लाया जायेगा या न अन्य कार्यवाही की जाएगी।

सदस्यता और पद की शर्तें

12.12—इन विनियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक न हो, व विद्यालय का कोई अधिकारी या विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण का सदस्य बनने या होने के लिए पात्र नहीं होगा।

शक्तियों का प्रत्यायोजन

12.13—अधिनियम और इस परिनियमावली के उपबन्धों के अधीन रहते हुए विश्वविद्यालय का कोई अधिकारी या प्राधिकारण अपनी शक्तियाँ अपने—अपने नियंत्रण के अधीन किसी अन्य अधिकारी या प्राधिकरण या अन्य व्यक्ति को प्रत्यायोजित कर सकता है और इस शर्त के अधीन रहते हुए कि इस प्रकार प्रत्यायोजित शक्तियों के प्रयोग करने का सम्पूर्ण दायित्व ऐसी शक्तियों का प्रत्यायोजन करने वाले अधिकारी या प्राधिकरण में निहित रहेगा।

आज्ञा से,
शैलेश कृष्ण,
प्रमुख सचिव।

परिशिष्ट 'क'

(परिनियम 9.01 देखिए)

विश्वविद्यालय के शैक्षणिक स्टॉफ के सदस्यों के साथ करार—प्रपत्र आज दिनांक..... सन् 20.....को श्री.....प्रथम पक्ष और.....(जिसे एतद्पश्चात 'विश्वाविद्यालय' कहा गया है) द्वितीय पक्ष के मध्य यह करार किया गया है :—

एतद्द्वारा निम्नलिखित करार किया जाता है :—

1—यह कि विश्वविद्यालय एतद्द्वारा श्री/श्रीमती/कुमारी..... को उसके पद ग्रहण के दिनांक से विश्वविद्यालय का अध्यापक नियुक्त करते हैं और प्रथम पक्ष का पक्षकार एतद्द्वारा कार्य को स्वीकार करता है, और ऐसे पक्ष और विश्वविद्यालय के ऐसे कर्तव्यों के निष्पादन का उत्तरदायित्व लेता है जैसा उससे अपेक्षित है जिसके अन्तर्गत विश्वविद्यालय की सम्पत्ति और निधि का प्रबन्ध और संरक्षण, प्रशिक्षण, औपचारिक या अनौपचारिक शिक्षण तथा छात्रों की परीक्षा का आयोजन, अनुशासन बनाये रखना और किसी पाठ्यक्रम सम्बन्धी या आवासी कार्यकलापों के सम्बन्ध में छात्र कल्याण की प्रोन्नति एवं विश्वविद्यालय के ऐसे पाठ्येत्तर कर्तव्य का निर्वहन करना जो उसे सौंपे जाये और उन अधिकारियों के प्रति समर्पित रहना जिनके अधीन उसे तत्समय विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों द्वारा रखा जाता है और समय—समय पर यथा संशोधित विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अध्यापकों के लिए आचार संहिता का अनुपालन करना और उसके अनुरूप रहना भी है:

परन्तु यह कि अध्यापक प्रथम बार एक वर्ष की अवधि तक परिवीक्षा पर रहेगा और कार्यपरिषद अपने विवेकानुसार परिवीक्षा की अवधि को एक वर्ष के लिए बढ़ा सकती है।

2—यह कि प्रथम पक्ष का पक्षकार विश्वविद्यालय की परिनियमावली के उपबन्धों के अनुसार सेवानिवृत्त होगा।

3—अध्यापक का पद जिस पर प्रथम पक्ष का पक्षकार नियुक्त है, से सम्बद्ध वेतनमान..... होगा। प्रथम पक्ष के पक्षकार को उसके द्वारा उक्त कर्तव्य का कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से उपर्युक्त वेतनमान में रू०.....

प्रति माह की दर से वेतन प्रदान किया जायेगा, और वह उक्त वेतनमान में उत्तरवर्ती चरणों में वेतन प्राप्त करेगा जब तक कि परिनियमावली के उपबन्धों के अनुसरण में वार्षिक वृद्धि पर रोक न लगा दी जाये :

परन्तु यह कि जहाँ समयमान वेतनमान में दक्षतारोक विहित है वहाँ रोक के ऊपर अगली वेतन वृद्धि प्रथम पक्ष के पक्षकार को वृद्धि रोकने के लिए अधिकृत प्राधिकारी की विशेष संस्तुति के बिना नहीं प्रदान की जायेगी।

4—यह कि प्रथम पक्ष का पक्षकार विश्वविद्यालय के ऐसे किसी अधिकारी, प्राधिकारी या निकाय का आज्ञा पालन करेगा और अपनी सर्वोत्तम योग्यता से उनके विधि पूर्ण निर्देश का कार्यान्वयन करेगा जिसके प्राधिकार में वह, इस करार के प्रवृत्त रहने तक उक्त अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये किसी परिनियमावली, अध्यादेश या वह नियमावली के उपबन्धों के अधीन है।

5—यह कि प्रथम पक्ष का पक्षकार समय—समय पर यथा संशोधित, विश्वविद्यालय द्वारा अध्यापकों के लिए निर्धारित आचार संहिता का पालन करने और अनुरूप रहले का वचन देता है।

6—यह कि किसी भी कारणवश इस करार के पर्यवसान पर प्रथम पक्ष का पक्षकार विश्वविद्यालय की समस्त पुस्तके, उपकरण, अभिलेख एवं अन्य सामग्री जो उनके पास हो, विश्वविद्यालय को वापस कर देगा।

7—समस्त मामलों में इसके पक्षकारों के पारस्परिक अधिकार और दायित्व तत्समय प्रवृत्त विश्वविद्यालय की परिनियमावली और अध्यादेशों द्वारा शासित होंगे जो इसमें सम्मिलित समझे जायेंगे और वे इस रूप में इस करार के भाग होंगे मानो वे डा० शकुन्तला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय (भिन्न रूपेण योग्य हेतु) उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2009 के उपबन्धों द्वारा उनमें पुनः रखे गये हों। साक्ष्य के रूप में इसके पक्षकार अपने हस्ताक्षर और मुहर प्रथमतः ऊपर लिखित दिनांक एवं वर्ष को अंकित करते है।

.....

अध्यापक के हस्ताक्षर

.....

विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने वाले

वित्त अधिकारी के हस्ताक्षर

साक्षी

1.....

2.....

परिशिष्ट 'ख'

(परिनियम 9.02 और 9.03 देखिए)

अध्यापकों के लिए आचार संहिता चूंकि अपने कर्तव्य के प्रति सजग और नवयुवकों का चरित्र निर्माण करने और ज्ञान बौद्धिक स्वतंत्रता एवं सामाजिक प्रगति की अभिवृद्धि करने के लिए न्यस्त एक अध्यापक से अपेक्षा की जाती है कि वह समर्पण की भावना, नैतिक सत्यनिष्ठा एवं शुद्ध विचार, वाणी एवं कर्म के माध्यम से उपदेश से अधिक आदर्श उदाहरण द्वारा नैतिक नेतृत्व की भूमिका का निर्वहन कर सकता है;

अतएव अब, उसके कर्तव्यों की गरिमा के अनुरूप एतद्द्वारा यह आचार संहिता उसके द्वारा सत्यनिष्ठा एवं सद्भावनापूर्वक पालन करने के लिए निर्धारित की जाती है;

1–प्रत्येक अध्यापक अपने शैक्षणिक कर्तव्यों का सम्पूर्ण सत्यनिष्ठा एवं श्रद्धापूर्वक सम्पादन करेगा।

2–कोई भी अध्यापक छात्रों के मूल्यांकन में न कोई पक्षपात या पूर्वाग्रह प्रदर्शित करेगा और न ही उनका उत्पीड़न करेगा।

3–कोई भी अध्यापक किसी छात्र को दूसरे छात्र के विरूद्ध या अपने सहकर्मियों या विश्वविद्यालय के विरुद्ध दुष्प्रेरित नहीं करेगा।

4–कोई भी अध्यापक जाति, पंथ, सम्प्रदाय, धर्म, लिंग, राष्ट्रीयता या भाषा के आधार पर किसी छात्र के प्रति भेदभाव नहीं बरतेगा वह अपने सहकर्मियों, अधीनस्थों और छात्रों के मध्य ऐसी प्रवृत्तियों को हतोत्साहित भी करेगा और अपनी सम्भावनाओं के सुधार के लिए उपर्युक्त विचारधाराओं को अपनाने का प्रयास करेगा।

5–कोई भी अध्यापक यथास्थिति, विश्वविद्यालय या महाविद्यालय के समुचित निकायों और कृत्यकारियों के निर्णयों का पालन करने से इंकार नहीं करेगा।

6–कोई भी अध्यापक, यथास्थिति, विश्वविद्यालय या महाविद्यालय के कार्यकलापों से सम्बन्धित कोई गोपनीय सूचना उस सम्बन्ध में अप्राधिकृत किसी व्यक्ति को प्रकट नहीं करेगा।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 507/LXV-3-2009 *Dated July* 08, 2009:

No. 507/LXV-3-2009

Dated Lucknow, July 08, 2009

IN exercise of powers under sub-section (1) of section 32 of Dr. Shankuntala Misra Rehabilitation University (For Differently Abled) Act, 2009 (U.P. Act no. 1 of 2009) the State Government of Uttar Pradesh hereby make as follows the First Statutes of the Dr. Shankuntala Misra Rehabilitation University (For Defferently Abled)

THE DR. SHAKUNTALA MISRA REHABILITATION UNIVERSITY (FOR DIFFERENTLY ABLED) FIRST STATUTES, 2009

CHAPTER-1

PRELIMINARY

Short title and Commencement

1.01. (1) These Statutes may be called the Dr. Shakuntala Misra Rehabilitation University (For Differently Abled) First Statues, 2009

(2) They shall come into force with immediate effect

Definitions

1.02 (1) In these Statues, unless the context otherwise requires,–

(a) "Act" means the Dr. Shakuntala Misra Rehabilitation University (For differently Abled) Act, 2009 as amended from time to time.